

कार्यालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-12, लखनऊ।

संख्या- 3532 /12-28डी/2012

दिनांक- 30-6-2017


स्थानान्तरण आदेश

परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में अंकित चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को उनके निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-3 में अंकित जनपद से स्तम्भ संख्या-4 में अंकित जनपद में तालिका के नीचे प्रस्तर-2 में अंकित उपबन्ध के अधीन स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करते हैं:-

| क्रमांक | नाम/पदनाम | वर्तमान तैनाती जनपद | जनपद का नाम जहाँ स्थानान्तरण किया गया |
|---------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री स्वतन्त्र कुमार, चपरासी | फतेहपुर | उन्नाव |
| 2 | श्री हरभान सिंह, राजस्व सेवक | एटा | आगरा |
| 3 | श्री सुनील कुमार, राजस्व सेवक | फिरोजाबाद | उन्नाव |
| 4 | श्री मिश्रीराम, नजारत चपरासी | सन्तकबीरनगर | मऊ |
| 5 | श्री सनी कुमार, राजस्व सेवक | मैनपुरी | आगरा |

2-उपर्युक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता स्थानान्तरित जनपद के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे निर्धारित की जायेगी, जिसकी सहमति उपर्युक्त कार्मिकों द्वारा दी जा चुकी है। प्रश्नगत सभी कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किये जा रहें हैं, इसलिए प्रश्नगत स्थानान्तरण हेतु उन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा। यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध जनपद स्तर पर कोई अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान होगी तो उस कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

राजस्व परिषद की ओर से,



(लीना जौहरी)


आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-जिलाधिकारी-फतेहपुर/एटा/फिरोजाबाद/सन्तकबीरनगर/मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया स्थानान्तरण आदेश के प्रस्तर-2 के उपबन्धों के अनुसार आश्वस्त होकर अपने जनपद से सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अवमुक्त करने का कष्ट करें।
- 2-जिलाधिकारी-उन्नाव/आगरा/मऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से परिषद को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।
- 3-मण्डलायुक्त-इलाहाबाद/अलीगढ़/आगरा/बस्ती/लखनऊ/आजमगढ़।
- 4-सम्बन्धित कार्मिक द्वारा जिलाधिकारी।
- 5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(जे०बी० सिंघ)

उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।